

STATEMENT BY MINISTER

Conversion of Rajiv Gandhi University, Itanagar, and Tripura University, Agartala, into Central Universities and Establishment of a new Central University in Sikkim

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, there are six Central Universities that have so far been established in five of the eight States of the North-Eastern Region. The remaining three States of the region, namely, Arunachal Pradesh, Sikkim and Tripura do not yet have a Central University.

Special attention to the development of the North-Eastern Region is an article of faith with the Central Government, and is one of the cornerstones of the National Common Minimum Programme. Accordingly, the Government have decided to convert the Rajiv Gandhi University, Itanagar, and Tripura University, Agartala, into Central Universities, and to establish a new Central University in Sikkim to cater to the needs and aspirations of the people of these States.

We shall soon be coming before this august House with specific legislative proposals for the purpose.

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRIES OF PANCHAYATI RAJ AND RURAL DEVELOPMENT - Contd.

डा० फागुनी राम : महोदय, महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज व ग्राम राज की कल्पना की थी और उनका उद्देश्य था कि लोगों के कल्याण का प्रत्येक रास्ता वहां तक पहुंचे। इसी क्रम में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब प्रधान मंत्री थे, तो एक बार रांची गए थे। वहां रांची के मैदान में सभा करके खूंटि गए। वहां बिरसा भगवान पर पुष्प अर्पित करके वहां से उनको गुल्ला विहार जाना था। हम लोग एम०पीज० ज्वॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के साथ अटैच थे, इसलिए हमें उनके साथ जाने का मौका मिला। राजीव जी ने बीच में एक जगह जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी थी, वहां उतरकर आदिवासी भाई-बहनों से जानना चाहा कि वे कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और उनको क्या सुविधा है, क्या नहीं है? उनसे सब कुछ जानकर वह इतने आहत हुए, इतने विह्वल हो गए, उनकी दयालुता व मानवता इतनी जाग उठी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हम सरकार की तरफ से जो पैसा देते हैं, वह पैसा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिर उसी समय जब हम वहां रांची से दिल्ली लौट रहे थे तो हवाई जहाज पर ही जो पत्रकार व अन्य लोग मौजूद थे, उनसे विचार-विमर्श करके उन्होंने कल्पना की कि कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा यहां से गांव के लिए भेजती है, वह पैसा उसके पास जरूर चला जाये। तब उन्होंने ग्राम पंचायत राज की कल्पना की। फिर यहां आकर एक मीटिंग की जिसमें हमारे प्रधान

शिल्पी, मणि शंकर साहब भी थे और आज यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमारे मंत्री हैं। राजीव जी ने उनसे विचार करके सोचा कि इस बारे में पूरे देश की राय ली जाए कि ग्राम पंचायत राज कैसे बने, ग्राम पंचायत राज किस ढंग से बने। कैसे सब लोगों को अधिक लाभ मिले? इसके लिए उन्होंने पूरे देश के सारे जिलों में एक साल तक एक मीटिंग करवाई। मीटिंग करवाकर सबका ओपिनियन जाना। वे ओपिनियन, देश के सारे जिलों के लोगों के विचार, शिल्पीकार के पास, जोकि श्री अय्यर साहब हैं, उनके पास जमा हुए। शिल्पीकार के रूप में इन्होंने उन विचारों का संग्रह किया और पंचायती राज की कल्पना की तथा उसे बनाया।

महोदय, यह सही बात है कि ग्राम पंचायत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें छोटे-से-छोटे लोगों तक भी बात जा सकती है। जब राजीव गांधी जी की बात आती है, तो उनकी मानवता को, उनकी महान भावनाओं को, उनकी दयालुता को याद करके मेरा दिल भर आता है, मेरी आँखें भर जाती हैं। वे इतने दयालु थे कि वे किसी की गरीबी देखकर कि हमारे हिन्दुस्तान के आदिवासी भाई ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, उनके भोजन-वस्त्र-आवास की यह स्थिति है, वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कल्पना किया और तब आकर फिर यह बना। हम यह कहना चाहते हैं कि यह राजीव गांधी जी की भावना का प्रतिफल है और वे पंचायती राज के धाता-विधाता हैं। वे शिल्पकार माननीय अय्यर साहब हैं, जो अभी पंचायती राज के मंत्री भी हैं। हम शायद उतना नहीं जानते होंगे, कोई भी पंचायती राज के बारे में इतना नहीं जानता होगा कि स्व० राजीव गांधी जी की वास्तविक कल्पना क्या थी, उनकी क्या भावना थी और इस देश के गरीबों को और असहायों को वे पंचायती राज के माध्यम से क्या देना चाहते थे। अगर उसका वर्तमान में कोई सही जानकार है, तो मैं समझता हूँ कि श्री मणि शंकर अय्यर जी इसके साक्षात् जानकार हैं और संयोग से वे हैं भी। हम यह कहेंगे कि वे राजीव गांधी जी की भावनाओं के अनुकूल पंचायती राज को रूप दें, पंचायती राज बनाएँ।

महोदय, ग्राम पंचायत अधिनियम बना, जो बड़ी मुश्किल से बनाया गया। लोक सभा में तो वह पारित हो गया, क्योंकि यह एक कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन इसी राज्य सभा में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने उसे एक मत से उस बिल को गिरा दिया। राजीव गांधी साहब प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। बिल गिर जाने पर उन्होंने उठने में थोड़ी देर की। तब देखा कि उनकी आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा कि क्या विरोधी इसीलिए ही होते हैं कि हर चीज़ का विरोध किया जाए। यह तो ऐसा बिल था, जोकि जनोपकारी था, परोपकारी था। इसमें न कोई पार्टी थी, न तो कोई पॉलिटिक्स थी और न ही वहाँ कोई ऊँच और नीच का ज्ञान था। इसमें तो सर्व-धर्म और सर्व-जन-समभाव था। लोगों ने ऐसे बिल को भी गिरा दिया, जोकि नहीं होना चाहिए था। बाद में बिल बना, लेकिन उस बिल का प्रारूप थोड़ा बदल गया। मुझे जहाँ तक याद है, राजीव गांधी की कल्पना से और अय्यर साहब ने उसके शिल्पीकार होने के नाते उस बिल का जो प्रारूप तैयार किया था, उसमें ग्राम पंचायत के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर और जिला के स्तर पर, इन तीनों जगहों पर डायरेक्ट चुनाव का प्रावधान था, जिससे कि पब्लिक या वोटर्स अपने मैन से उन सभी स्तरों के लिए, जो उस पंचायत के लिए चलते हैं, अपने मन के अनुकूल प्रतिनिधि चुन सकें ताकि उनका प्रतिनिधि उनसे परिचित हो, जिससे कि काम करने में कम्युनिकेशन गैप कम-से-कम हो सके तथा ग्राम का विकास हो सके। आज ग्रामों में विकास के सारे काम ग्राम-पंचायतों के माध्यम से हो रहे हैं, जो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। उनकी यही अवधारणा थी कि पंचायत का काम पंचायत से

ही हो। लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि हम सेंटर से बहुत पैसा देते हैं और जिस परपज के लिए पैसा देते हैं, वह पैसा वस्तुतः उस परपज में यूटिलाइज होता है या नहीं। अगर यूटिलाइज नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि स्व० राजीव गांधी जैसी महान आत्मा की उस कल्पना को चोट लगती है। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि जो पैसा पंचायत में राजीव गांधी की स्मृति के नाम पर, उनकी भावनाओं के नाम पर दिया जाता है, उसको ममता से या फिर भावुकता या दयालुता से देखना चाहिए, क्योंकि उसके उपयोग से उनके पंचायती राज की सफलता होगी, उनकी कामना का रूप साकार होगा, जो बहुत ही अच्छा हो सकेगा।

राजीव गांधी ने ही सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की कल्पना की। यह सर्वप्रथम राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। यह कितनी महान बात है। यह कितना ही कहा जा सकता है। उस समय उसका यही ध्येय था और मैं भी कहता हूँ कि "अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"। जब कल्याण की भावना होती है, तो भगवान ने कहा और शास्त्रों में भी कहा गया है कि...। मानव जीवन की सफलता कल्याण में है, उपकार में है। नदी कल्याण करती है, वृक्ष कल्याण करते हैं। चंदन के बारे में तो कहा गया है -

मूलं भूर्जगे शिखरम् विहंगे, शखा फलवगी, कुसुमाब्धि भृगी।
आचार्य मेतत् खलु चन्दनस्ये, परोपकाराय सतां विभूतयः ।

महोदय, चंदन के साथ सांप भी लगे रहते हैं और जब कुल्हाड़ी से उसे काटते हैं तो सुगंध उसको देता है। राजीव गांधी जी का यह पंचायती-राज भी एक चंदन के वृक्ष के समान है, जो सबको सुगंध देता है। इसमें अपोजीशन भी है, जो विरोध कर सके और तभी जाकर इसका लाभ लोगों को मिलेगा। पंचायती-राज एक इतनी बड़ी कल्पना थी, जिसके लिए मैं उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ। यूपीए की जो चेयर-परसन है, महान, पूज्य, त्यागी, तपस्वी, कृत-संकल्पित श्रीमती सोनिया गांधी जी और डा० मनमोहन सिंह जी की सरकार के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन लोगों ने इसे बहुत तत्परता और संकल्प के साथ लिया। मुझे विश्वास है कि उनकी दूरदृष्टि और पक्का हरादा इस पंचायती-राज के सही उद्देश्य को आगे लाएगा और गांवों में इसे दृढ़ता और तत्परता से लागू किया जाएगा। जैसे वे इसके लिए कृत-संकल्प हैं, उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

महोदय, अब मैं ग्रामीण विकास की तरफ आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और जिसका मकसद ग्रामों का विकास होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से हैं, जैसे एक स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना है, एसजीएसवाई, इसके अंतर्गत सहायता-समूह में ग्रामीण-जनों का संगठन, उनकी क्षमता का निर्वहन करना, प्रशिक्षण क्रिया के लिए तैयार करना, उनके कार्यकलापों को देखना, आधार संरचना का विकास, बैंक ऋण और सबसिडी, यह सब इसमें है। उसी तरह से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य यह भी है कि मजदूरों के लिए अतिरिक्त मजदूरी का सृजन किया जा सके। फिर पंचायती-राज की सफलता, इसमें अधिक से अधिक काम दिया जाए, क्योंकि वह एक आधार है, एक यूनिट है, एक जनता के प्रतिनिधि के स्तंभ हैं, एक स्तर हैं, एक केन्द्र हैं, उससे काम अच्छे होने की बात आती है। इस भावना का हम आदर करते हैं। "काम के बदले अनाज" योजना, इसमें यह उद्देश्य है कि जब मजदूर को पैसा मिलता था, तो

उसे कम अनाज के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होता था, लेकिन जब उसको अनाज देते हैं काम के बदले, तो उनको अनाज के माध्यम से ज्यादा मजदूरी मिलती है, उससे उसे फायदा होता है और अनाज मिलता है, क्योंकि मजदूर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ही काम करते हैं।

महोदय, इसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी की कृत-संकल्पता में, उनके दृढ़ विचार से, उनकी दूरदृष्टि से यूपीए सरकार ने यह ग्रामीण रोजगार योजना, अधिनियम बनाया। हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो "कम दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम" पर आधारित रहता था। जो कोई काम दिया, तो दिया, लेकिन नहीं दिया, तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह काम पा सके। देश में यह पहली बार यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन में यह किया है कि मजदूरों को काम करने का अधिकार मिला। हम इसके लिए मैडम के प्रति, प्रधान मंत्री जी के प्रति, उनकी सरकार के प्रति और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से, जिस दृढ़ता से यह बिल लाया गया है, उसी रूप में उसका पालन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसमें सारी की सारी बातें हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, राजीव गांधी जल मिशन की बातें हैं और फिर सड़क की बात है, विकास की बात है। एक परिवार को, जो अकुशल परिवार का सदस्य है, उसको साल में 100 दिन काम मिलेगा। यह जो सौ दिन काम कहते हैं, यह सौ दिन काम तब मिलेगा, जब वह निहला बैठा हुआ होगा, जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, जैसे खेती में धान की फसल में या रबी की फसल में तो उसको कुछ काम मिल जाता है, मगर फिर वह बैठा रह जाता है। मजदूरी मजदूर का जीवन है। जिस दिन वह मजदूरी करता है, उस दिन वह खाता है और जिस दिन मजदूरी बंद हो जाती है, उसकी भुखमरी शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे विकट समय में, जब उसके पास कोई खेती का काम न हो या प्राकृतिक रूप से काम नहीं मिलने वाला है, तब साल में परिवार के एक सदस्य सौ दिन के रोजगार की गारंटी होगी। यह सरकार की जो गारंटी योजना है, उसके लिए हम स्तुत हैं और जितनी बड़ाई की जाए वह कम है, क्योंकि गरीबों को काम का अधिकार मिला, जिसकी कोई कल्पना नहीं की थी। यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल डायरेक्शन में इसको साकार करके दिया। जनता की ओर से, गरीब मजदूरों की ओर से हम इसके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। अभी इसे देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया है, लेकिन पांच सालों में ऐसी योजना है कि इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा और जब सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि देश में भुखमरी से कोई आदमी मर सकेगा।

हुजूर, हम ग्राम की बात करते हैं। आज देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है। यह किसका प्रयास है? यह देहात का, रूरल एरिया का, कृषकों का, मजदूरों का प्रयास है, जिन्होंने पुराने ढंग से खेती करते हुए भी अपनी मेहनत के बल पर आज देश को अन्न के मामले में स्वावलंबी कर दिया। हम इस देश के कृषक मजदूरों और कृषकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने स्वयं कई फसलों का ईजाद करके उन्हें पैदा किया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में बहुत रिसर्च होते हैं - कृषि पर, दलहन पर, खाद्यान्न पर, तिलहन पर, नकदी फसल पर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन रिसर्च का सही लाभ जहाँ मिलना चाहिए, वह कृषकों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लैबोरेट्रीज शहरों तक

सीमित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि लैब को लैंड पर जाना चाहिए, लैब दूर लैंड जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोगशालाएं अगर गांव की घरती पर जाकर मिट्टी का, वातावरण का अन्वेषण करेंगी कि कौन-सी मिट्टी में, कौन से इलाके में कैसी फसल हो सकती है, असिंचित भूमि में कौन-सी फसल हो सकती है, सिंचित भूमि में कौन-सी हो सकती है या फिर मरुभूमि या ड्राई भूमि में कौन-सी फसल हो सकती है, तो इससे सालभर किसान, जो हमारा अन्नदाता है और मजदूर, जो हमारा विधाता है, ये लोग काम कर सकेंगे, जिससे देश का उत्पादन बढ़ सकेगा और उनको रोजी-रोजगार का भी पूरा अवसर मिल सकेगा। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर भी अवश्य ध्यान देगी।

अब मैं राजीव गांधी पेयजल मिशन, ग्रामीण स्वच्छता की बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण स्वच्छता बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राम में बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। गांव में व्यक्ति मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन बुखार आदि में भी वे लोग तंत्र-मंत्र पर निर्भर करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां उनके पास अस्पताल में जाकर डाक्टर को दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम समझते हैं कि गांवों में अस्पतालों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए, ताकि लोग अपनी बीमारी को दिखाकर यथासंभव सलाह और उचित इलाज पा सकें।

महोदय, आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति, महान आत्मा श्री राजीव गांधी जी के प्रति, जिनकी भावना और स्मृति में मैंने ये शब्द कहे हैं। आभार प्रकट करता हूँ अपने मंत्रियों का, जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना और आभार प्रकट करता हूँ अख्यर साहब के प्रति, जो इसके शिल्पकार हैं और मुझे विश्वास है कि वे श्री राजीव गांधी जी की भावना के अनुकूल इस पंचायती राज को जनकल्याण के लिए उतारेंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): श्री मूल चन्द मीणा। आपके लिए पांच मिनट का समय है।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस चर्चा में जो भी सुझाव आएँ, मंत्री महोदय, आप कृपया उन सुझावों पर जरूर गौर करें।

महोदय, हिन्दुस्तान गांवों का देश है और गांवों का विकास गांधी जी के सपने के अनुसार जब तक नहीं होगा, तब तक इस आजादी का, जो हमें हासिल हुई है, कोई मतलब नहीं रह जाता। गांधी जी ने यह कहा था कि गांवों में रहने वाले आदमी को, गांवों में रहने वाले व्यक्ति को जब तक गांव के अंदर ही शहर में रहने वाले व्यक्ति के समान सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक आजादी का मतलब गांव के आदमी की समझ में नहीं आ सकता। उसी उद्देश्य को लेकर और उसी सपने को पूरा करने के लिए, देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अन्दर पंचायती राज की व्यवस्था की थी। पंचायती राज पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहता हूँ।

मंत्री महोदय, हिन्दुस्तान के गांवों में कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है और कहीं पर यदि थोड़ी-बहुत पानी की व्यवस्था थी भी तो वह भी अब नष्ट होती जा रही है। पहले कुंओं अथवा ट्यूबवेल के माध्यम से पानी प्राप्त

हो जाता था, क्योंकि जलस्तर ऊपर था, लेकिन धीरे-धीरे जलस्तर भी नीचे चला गया। इसी हाउस के अन्दर एक दिन एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने स्वजलधारा योजना का जिक्र किया था। इस योजना के अन्दर पीने के पानी की जो भी स्कीम बनी है, उसे तत्काल सँक्शन कर दिया जाना चाहिए था। मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि राजस्थान के कई जिलों के अन्दर स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत जो हिस्सा राशि गांव के लोगों को जमा करनी थी, वह कर दी गई, लेकिन आज साल या डेढ़-साल बीत जाने पर भी वे योजनाएं यूँ ही पड़ी हैं और अभी तक भी उनका सँक्शन नहीं हुआ है। किस प्रकार से आप गांवों को डेवलप करना चाहते हैं और गांवों के लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं?

जिला हैडक्वार्टर पर आपका एक सरकारी संगठन - डीआरडीओ है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इतनी स्कीमें आती हैं और इतना पैसा दिया जाता है, लेकिन गांवों का विकास फिर भी नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? मंत्री महोदय, इसका मूल कारण जो मेरी जानकारी में आया है वह यह है कि इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम सेंटर से यदि एक रुपया भेजते हैं तो गांवों के विकास पर उसमें से केवल पंद्रह पैसे ही लगते हैं। इस तरह से बीच में इस पैसे के अन्दर कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है, यदि हम इस गड़बड़ को नहीं रोकेगे तो ...(व्यवधान)...

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): सर, चूंकि बार-बार यह कहा जाता है कि राजीव जी ने कहा कि एक रुपये में से पन्द्रह पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं और बीच में गड़बड़ हो जाता है, आपकी अनुमति से मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर उनका यह कहना था कि 85 पैसे प्रशासनिक खर्च पर चले जाते हैं और इसलिए गांव तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। चूंकि यह बार-बार कहा जाता है कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं इस पर स्पष्टीकरण दे दूँ तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री मूल चन्द मीणा : मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता जानने के लिए आप नीचे के स्तर पर जाकर देखें कि क्या हो रहा है। मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ कि राजीव जी का उद्देश्य कुछ गलत था, लेकिन यदि आप जाकर वास्तविकता को देख लें, जिला परिषद् के स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर जो कर्मचारी बैठा हुआ है...(व्यवधान)... वह पंचायत समिति स्तर होगा ...(व्यवधान)... आज एक ओर जहां डेवलपमेंट की इतनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है? और तो और आपका ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): मीणा जी, आपके केवल दो मिनट बचे हैं। बोलिए, बोलिए।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, गांव के विकास के लिए भूमि सुधार के कार्यक्रम को ही लीजिए। आज गांव के अन्दर बंजर भूमि पड़ी हुई है, नदी-नालें पड़े हुए हैं, इन बंजर भूमियों और नदी-नालों के सुधार के लिए हम कितने फंड देते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहीं पर कोई सुधार होता है? जिस किसान को जमीन एलॉट कर दी जाती है, वह किसान स्वयं ही उसे ठीक करता रहता है, लेकिन बंजर भूमि के सुधार के लिए आपका जो पैसा है, वह कहां पर युटिलाइज़ होता है। इस सदन को आप इस बात की भी जानकारी दे दें और बता दें कि पिछले

5.00 P.M.

वर्ष हमने इन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया है और कहाँ किया है? आज वह पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन या पीएचडी डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता, बल्कि वह ब्लॉक पंचायत में जाना चाहता है, क्योंकि ब्लॉक पंचायत में इतनी स्कीमों का पैसा जाता है और मंत्री महोदय हमें ऐसे-ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि और ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, मंत्री महोदय, कि सेंटर की स्कीम के अनुसार पंचायत के माध्यम से सड़क बनाने के लिए पैसा दिया है, स्कूल के कमरे बनाने के लिए पैसा दिया है, उसकी एम0बी0 भर दी गई, लेकिन मीके पर देखने पर आपको न सड़क मिलेगी, न स्कूल के कमरे ही मिलेंगे। ऐसा यह हो रहा है। आजादी के 50-58 साल बाद भी हम उस स्थिति में नहीं जा सके कि जो गांव के अंदर सुविधा पैदा कर दें, शिक्षा की व्यवस्था कर दें, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दें, सड़कों की व्यवस्था कर दें, पीने के पानी की व्यवस्था कर दें।... (व्यवधान)...

श्री वी0 नारायणसामी : अब कल शुरू कर दीजिएगा, अब पांच बज गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): The Discussion on the Working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development will continue tomorrow.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Finance Bill, 2006

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

1. In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Finance Bill, 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2006.
2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.